न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी: श्री मनोज कुमार मीणा आर. ए. एस.

प्रकरण सं0 83 दायर दिनांक 10–07–2019

1– विनोद
2– प्रेमचन्द
3– सुभाष चन्द
4– आदराम

पिसरान श्री पृथ्वीराज अकवाम जाट साकिनान भोजेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

—— वादीगण

बनाम

1–पृथ्वीराज पुत्र श्री पूराराम
2–भागीरथ पुत्र श्री पुराराम

अकवाम जाट साकिन भोजेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

3– एस बी बी जे (ए डी बी) वर्तमान बैक एस बी आई शाखा सूरतगढ

4– एच डी एफ सी बैक शाखा सूरतगढ

5–श्रीमान तहसीलदार राजस्व सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0 पेरोकार राज

—— प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 209, राज0 काश्त0 अधि0 1955

उपस्थित :–

1– राजवीर भादू अभिभाषक वादीगण ।

2– सुरेन्द्र सुथार अभिभाषक प्रतिवादी नं0. 1

3– पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ ।

–:– निर्णय –:– दिनांक :– 18–11–2019

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । अभिभाषक वादीगण एवं अभिभाषक प्रतिवादी नं0 1 व पैरोकार राज उपस्थित। उभय पक्षो को सुना गया । प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से संयुक्त खाता की भूमि वाके चक 1 बी जे डब्ल्यू द्वितीय तहसील सूरतगढ के खाता संख्या 7 के प0नं0 72/14 मु0 नं0 11 के किला नं0 1 ता 20/5.060 हे0 कमाण्ड , 21 ता 25/1.140 हे0 कमाण्ड = 6.200 हे0 कमाण्ड , पं0 नं0 72/22 मु0 नं0 12 के किला नं0 1 ता 20/5.060 हे0 कमाण्ड अनकमाण्ड, 21 ता 25/1.140 हे0 कमाण्ड = 6.200 हे0 कमाण्ड अनकमाण्ड, पं0 नं0 72/30 मु0 नं0 13 के किला नं0 1 ता 13, 18 ता 20/4.048 हे0 कमाण्ड अनकमाण्ड , 21 ता 23/0.684 हे0 कमाण्ड = 4.732 हे0 कमाण्ड अनकमाण्ड , पं0 नं0 72/31 मु0 नं0 18 के किला नं0 1 ता 3/0.759 हे0 कमाण्ड मय खाला, 8 ता 13, 18 ता 23/3.036 हे0 कमाण्ड = 3.795 हे0 कमाण्ड मय खाला, पं0 नं0 72/23 मु0 नं0 19 के किला नं0 1 ता 5/1.265 हे0 कमाण्ड मय खाला, 6 ता 19, 22 ता 25/4.554 हे0 कमाण्ड = 5.819 हे0 कमाण्ड मय खाला, पं0 नं0 72/15 मु0 नं0 20 के किला नं0 1 ता 4/1.012 हे0 कमाण्ड , 5–6/0.506 हे0 कमाण्ड मय खाला, 7–8/0.506 हे0 कमाण्ड, 10 ता 14/1.265 हे0 कमाण्ड , 15/0.253 हे0 कमाण्ड मय खाला, 20/0.215 हे0 अ0क0, 21/0.253 हे0 अ0क0 = 3.492 हे0 कमाण्ड अनकमाण्ड मय खाला , पं0 नं0

——2 पर लगातार

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

72/24 मु0 नं0 22 के किला नं0 3 ता 7, 15/1.518 हे0 कमाण्ड , पं0 नं0 72/32 मु0 नं0 23 के किला नं0 1 ता 3/0.759 हे0 कमाण्ड , 8/0.253 हे0 कमाण्ड मय खाला, 9 ता 12/1.012 हे0 कमाण्ड, 13/0.253 हे0 कमाण्ड मय खाला = 2.277 हे0 कमाण्ड मय खाला कुल 34.033 हे0 कमाण्ड अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि मे 1/2 हिस्सा खातेदारी भूमि व चक 2 बी जे डब्ल्यू द्वितीय के संयुक्त खाता 44 के पं0 नं0 72/6 मु0 नं0 91 के किला नं0 3 ता 8 , 13 ता 15/2.277हे0 अ0क0 खातेदारी भूमि में 1/2 हिस्सा खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है। उक्त जैरवाद रकबा वादीगण के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता पूराराम पुत्र श्री खुमाराम के नाम से वाके चक 1 बी जे डब्ल्यू द्वितीय तहसील सूरतगढ के खाता संख्या 7 के प0नं0 72/14 मु0 नं0 11 में 6.200 हे0 कमाण्ड , पं0 नं0 72/22 मु0 नं0 12 में 6.200 हे0 कमाण्ड अनकमाण्ड, पं0 नं0 72/30 मु0 नं0 13 में 4.732 हे0 कमाण्ड अनकमाण्ड , पं0 नं0 72/31 मु0 नं0 18 में 3.795 हे0 कमाण्ड मय खाला, पं0 नं0 72/23 मु0 नं0 19 में 5.819 हे0 कमाण्ड मय खाला, पं0 नं0 72/15 मु0 नं0 20 में 3.492 हे0 कमाण्ड अनकमाण्ड मय खाला , पं0 नं0 72/24 मु0 नं0 22 में 1.518 हे0 कमाण्ड , पं0 नं0 72/32 मु0 नं0 23 में 2.277 हे0 कमाण्ड मय खाला कुल 34.033 हे0 कमाण्ड अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि व चक 2 बी जे डब्ल्यू द्वितीय के संयुक्त खाता 44 के पं0 नं0 72/6 मु0 नं0 91 में 2.277हे0 अ0क0 खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड थी । उक्त जैरवाद रकबा प्रतिवादी नं0 1 के पिता पुराराम पुत्र श्री खुमाराम के देहान्त होने के पश्चात प्रतिवादी नं0 1 व 2 को संयुक्त रूप से विरास्त में प्राप्त हुई है । जिसका वादीगण के पिता प्रतिवादी नं0 1 व प्रतिवादी नं0 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन हो चुका है । उक्त जैरवाद रकबा सहदायी सम्पति होने के कारण वादीगण के पिता के पिता को विरास्तन प्राप्त होने से पैतृक सम्पति में वादीगण का जन्म जात अधिकारी हो जाते है । वादीगण प्रतिवादी सं0 1 के नाम आई पैतृक सम्पति में उतराधिकार अधिनियम के तहत 4/5 हक व हिस्सा की कृषि भूमि प्राप्त करने के विधिक अधिकारीगण है। वादीगण के पिता प्रतिवादी नं0 1 ने जैरवाद रकबा में वादीगण के हक व हिस्सा के मुताबिक 4/5 हिस्सा भूमि दे दी गई है । जिस पर वादीगण काबिज होकर कास्त करते आ रहे है । तथा परिवार का भरण पोषण करने का एक मात्र सहारा उक्त जैरवाद रकबा ही है । वादीगण का परिवार हिन्दु विधि से गवर्णन होता है हिन्दू विधि के नियमों – कानून एवं वादीगण के परिवार की रिति रिवाजो के अनुसार दादा की जमीन में पोते एवं पोतियों का अपने पिता के बराबर हक/ हिस्सा है। जबकि वादीगण का हिस्सा हड़पने की गर्ज से प्रतिवादी सं0 1 द्वारा अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियों को रहन बैय व हन्तान्तरित करने हेतु तत्पर है। इसलिए वादीगण जैरवाद रकबा जद्दी जायदाद होने के कारण वादीगण का प्रतिवादी नं0 1 के नाम 1/2 कृषि भूमि में 4/5 हक व हिस्सा है घोषणा करने के अधिकारी है । प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज कृषि भूमि में से वादीगण को प्राप्त 4/5

--3 पर लगातार

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

हिस्सा को अपने हिस्सा कृषि भुमि का खातेदार काश्तकार है और इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के कानूनन अधिकारी है।

वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । समन तामिल आने के पश्चात प्रतिवादी नं0 1 जरिये अभिभाषक हाजिर हुआ एवं प्रतिवादी नं0 2 स्वयं ने जबाब प्रस्तुत किया । प्रतिवादी नं0 1 ने जबाब दावा प्रस्तुत करते हुये तथ्य प्रकट किये कि उक्त जैरवाद रकबा मुझ प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता पूराराम से विरास्तन चक 1 बी जे डब्ल्यू द्वितीय तहसील सूरतगढ के खाता संख्या 7 में कुल 34.033 हे0 कमाण्ड अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि व चक 2 बी जे डब्ल्यू द्वितीय के संयुक्त खाता 44 में 2.277हे0 अ0क0 खातेदारी भूमि संयुक्त रूप से प्राप्त हुई । तथा उक्त विरास्तन भूमि का बंटवारा कर वादीगण को हक व हिस्सा अनुसार दिया गया है । तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र को डिक्री किया जाता है तो मुझे किसी प्रकार का कोई उज्र व एतराज नही है ।

वाद -पत्र में जबाब दावा प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति जबाब दावा में प्रस्तुत नही की गई है । इसलिए तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नही है । इसके पश्चात पक्षकारान के साक्ष्य लिये गये । साक्ष्य वादीगण में वादी प्रेमचन्द ने स्वयं द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत कियाा गया तथा वाद-पत्र में प्रस्तुत दस्तावैजो को प्रदर्श नम्बर दर्शित किया गया । तथा प्रतिवादी नं0 1 के अभिभाषक साक्ष्य नही करवाना चाहते ।

वाद मे साक्ष्य के पश्चात पक्षकारान सुने गये । विद्वान अभिभाषक वादीगण ने वाद-पत्र में अंकित तथ्यो एवं प्रस्तुत दस्तावैजो की तरफ ध्यान दिलाते हुये निवेदन किया कि वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से संयुक्त खाता की भूमि वाके चक 1 बी जे डब्ल्यू द्वितीय तहसील सूरतगढ के खाता संख्या 7 के प0नं0 72/14 मु0 नं0 11 के किला नं0 1 ता 20/5.060 हे0 कमाण्ड , 21 ता 25/1.140 हे0 कमाण्ड = 6.200 हे0 कमाण्ड , पं0 नं0 72/22 मु0 नं0 12 के किला नं0 1 ता 20/5.060 हे0 कमाण्ड अनकमाण्ड, 21 ता 25/1.140 हे0 कमाण्ड = 6.200 हे0 कमाण्ड अनकमाण्ड, पं0 नं0 72/30 मु0 नं0 13 के किला नं0 1 ता 13, 18 ता 20/4.048 हे0 कमाण्ड अनकमाण्ड , 21 ता 23/0.684 हे0 कमाण्ड = 4.732 हे0 कमाण्ड अनकमाण्ड , पं0 नं0 72/31 मु0 नं0 18 के किला नं0 1 ता 3/0.759 हे0 कमाण्ड मय खाला, 8 ता 13, 18 ता 23/3.036 हे0 कमाण्ड = 3.795 हे0 कमाण्ड मय खाला, पं0 नं0 72/23 मु0 नं0 19 के किला नं0 1 ता 5/1.265 हे0 कमाण्ड मय खाला, 6 ता 19, 22 ता 25/4.554 हे0 कमाण्ड = 5.819 हे0 कमाण्ड मय खाला, पं0 नं0 72/15 मु0 नं0 20 के किला नं0 1 ता 4/1.012 हे0 कमाण्ड , 5-6/0.506 हे0 कमाण्ड मय खाला, 7-8/0.506 हे0 कमाण्ड, 10 ता 14/1.265 हे0 कमाण्ड , 15/0.253 हे0 कमाण्ड मय खाला, 20/0.215 हे0 अ0क0, 21/0.253 हे0 अ0क0 = 3.492 हे0 कमाण्ड अनकमाण्ड मय खाला , पं0 नं0 72/24 मु0 नं0 22 के किला नं0 3 ता 7, 15/1.518 हे0 कमाण्ड , पं0 नं0 72/32 मु0 नं0 23 के किला नं0 1 ता 3/0.759 हे0 कमाण्ड , 8/0.253 हे0 कमाण्ड मय खाला, 9 ता 12/1.012 हे0 कमाण्ड, 13/0.253 हे0 कमाण्ड मय खाला = 2.277 हे0 कमाण्ड मय खाला कुल 34.033

--4 पर लगातार

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

हे0 कमाण्ड अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि मे 1/2 हिस्सा खातेदारी भूमि व चक 2 बी जे डब्ल्यू द्वितीय के संयुक्त खाता 44 के पं0 नं0 72/6 मु0 नं0 91 के किला नं0 3 ता 8 , 13 ता 15/2.277हे0 अ0क0 खातेदारी भूमि में 1/2 हिस्सा खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है। उक्त जैरवाद रकबा वादीगण के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता पूराराम पुत्र श्री खुमाराम के नाम से वाके चक 1 बी जे डब्ल्यू द्वितीय तहसील सूरतगढ के खाता संख्या 7 के प0नं0 72/14 मु0 नं0 11 में 6.200 हे0 कमाण्ड , पं0 नं0 72/22 मु0 नं0 12 में 6.200 हे0 कमाण्ड अनकमाण्ड, पं0 नं0 72/30 मु0 नं0 13 में 4.732 हे0 कमाण्ड अनकमाण्ड , पं0 नं0 72/31 मु0 नं0 18 में 3.795 हे0 कमाण्ड मय खाला, पं0 नं0 72/23 मु0 नं0 19 में 5.819 हे0 कमाण्ड मय खाला, पं0 नं0 72/15 मु0 नं0 20 में 3.492 हे0 कमाण्ड अनकमाण्ड मय खाला , पं0 नं0 72/24 मु0 नं0 22 में 1.518 हे0 कमाण्ड , पं0 नं0 72/32 मु0 नं0 23 में 2.277 हे0 कमाण्ड मय खाला कुल 34.033 हे0 कमाण्ड अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि व चक 2 बी जे डब्ल्यू द्वितीय के संयुक्त खाता 44 के पं0 नं0 72/6 मु0 नं0 91 में 2.277हे0 अ0क0 खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड थी । उक्त जैरवाद रकबा प्रतिवादी नं0 1 के पिता पुराराम पुत्र श्री खुमाराम के देहान्त होने के पश्चात प्रतिवादी नं0 1 व 2 को संयुक्त रूप से विरास्त में प्राप्त हुई है । जिसका वादीगण के पिता प्रतिवादी नं0 1 व प्रतिवादी नं0 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन हो चुका है । उक्त जैरवाद रकबा सहदायी सम्पति होने के कारण वादीगण के पिता के पिता को विरास्तन प्राप्त होने से पैतृक सम्पति में वादीगण का जन्म जात अधिकारी हो जाते है । वादीगण प्रतिवादी सं0 1 के नाम आई पैतृक सम्पति में उतराधिकार अधिनियम के तहत 4/5 हक व हिस्सा की कृषि भूमि प्राप्त करने के विधिक अधिकारीगण है। वादीगण के पिता प्रतिवादी नं0 1 ने जैरवाद रकबा में वादीगण के हक व हिस्सा के मुताबिक 4/5 हिस्सा भूमि दे दी गई है । जिस पर वादीगण काबिज होकर कास्त करते आ रहे है । तथा परिवार का भरण पोषण करने का एक मात्र सहारा उक्त जैरवाद रकबा ही है । वादीगण का परिवार हिन्दु विधि से गवर्णन होता है हिन्दू विधि के नियमों – कानून एवं वादीगण के परिवार की रिति रिवाजो के अनुसार दादा की जमीन में पोते एवं पोतियों का अपने पिता के बराबर हक/ हिस्सा है। तथा प्रतिवादी नं0 1 ने भी अपने जबाब दावा में वाद–पत्र के समस्त तथ्यो को स्वीकार करते हुये कोई उज्र व एतराज प्रस्तुत नही किया इसलिए वादीगण को उक्त जैरवाद रकबा का खातेदार कृषक घोषित किया जावे ।

प्रतिवादी नं0 1 के विद्वान अभिभाषक ने जबाब दावे के तथ्यों को दोहराते हुये वादीगण का वाद–पत्र डिक्री किया जाता है तो उन्हे किसी प्रकार का कोई उज्र व एतराज नही है।

बहस सुनने के पश्चात पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावैजो एवं साक्ष्यो का अवलोकन व मनन किया गया । वादीगण द्वारा वाद–पत्र में प्रस्तुत जमाबन्दी एवं ब्यानो के आधार पर प्रतिवादी नं0 1 को संयुक्त रूप से चक 1 बी जे डब्ल्यू द्वितीय तहसील सूरतगढ के खाता संख्या 7 में कुल 34.033 हे0 कमाण्ड अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि व चक 2 बी जे डब्ल्यू द्वितीय के संयुक्त खाता 44 में 2.277हे0 अ0क0 खातेदारी भूमि विरास्त में अपने पिता पुराराम पुत्र श्री खुमाराम से प्राप्त हुई है । जो पैतृक सम्पति होने के कारण

--5 पर लगातार

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण हक व हिस्सा पाने के कानूनन हकदार है । तथा उक्त जैरवाद रकबा पर वादीगण का कब्जा कास्त होने के कारण खातेदारी कृषक घोषित करने का निवेदन किया जा चुका है । अतः वाद वादीगण उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के मुताबिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है ।

उक्त विवेचनानुसार दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी नं0 1 के नाम संयुक्त खाते की भूमि वाके चक 1 बी जे डब्ल्यू द्वितीय तहसील सूरतगढ के खाता संख्या 7 के प0नं0 72/14 मु0 नं0 11 के किला नं0 1 ता 20/5.060 हे0 कमाण्ड , 21 ता 25/1.140 हे0 कमाण्ड = 6.200 हे0 कमाण्ड , पं0 नं0 72/22 मु0 नं0 12 के किला नं0 1 ता 20/5.060 हे0 कमाण्ड अनकमाण्ड, 21 ता 25/1.140 हे0 कमाण्ड = 6.200 हे0 कमाण्ड अनकमाण्ड, पं0 नं0 72/30 मु0 नं0 13 के किला नं0 1 ता 13, 18 ता 20/4.048 हे0 कमाण्ड अनकमाण्ड , 21 ता 23/0.684 हे0 कमाण्ड = 4.732 हे0 कमाण्ड अनकमाण्ड , पं0 नं0 72/31 मु0 नं0 18 के किला नं0 1 ता 3/0.759 हे0 कमाण्ड मय खाला, 8 ता 13, 18 ता 23/3.036 हे0 कमाण्ड = 3.795 हे0 कमाण्ड मय खाला, पं0 नं0 72/23 मु0 नं0 19 के किला नं0 1 ता 5/1.265 हे0 कमाण्ड मय खाला, 6 ता 19, 22 ता 25/4.554 हे0 कमाण्ड = 5.819 हे0 कमाण्ड मय खाला, पं0 नं0 72/15 मु0 नं0 20 के किला नं0 1 ता 4/1.012 हे0 कमाण्ड , 5–6/0.506 हे0 कमाण्ड मय खाला, 7–8/0.506 हे0 कमाण्ड, 10 ता 14/1.265 हे0 कमाण्ड , 15/0.253 हे0 कमाण्ड मय खाला, 20/0.215 हे0 अ0क0, 21/0.253 हे0 अ0क0 = 3.492 हे0 कमाण्ड अनकमाण्ड मय खाला , पं0 नं0 72/24 मु0 नं0 22 के किला नं0 3 ता 7, 15/1.518 हे0 कमाण्ड , पं0 नं0 72/32 मु0 नं0 23 के किला नं0 1 ता 3/0.759 हे0 कमाण्ड , 8/0.253 हे0 कमाण्ड मय खाला, 9 ता 12/1.012 हे0 कमाण्ड, 13/0.253 हे0 कमाण्ड मय खाला = 2.277 हे0 कमाण्ड मय खाला कुल 34.033 हे0 कमाण्ड अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि मे 1/2 हिस्सा खातेदारी भूमि में से वादीगण का 4/5 हक/ हिस्सा बहिस्सा बराबर खातेदारी कृषक एवं चक 2 बी जे डब्ल्यू द्वितीय के संयुक्त खाता 44 के पं0 नं0 72/6 मु0 नं0 91 के किला नं0 3 ता 8 , 13 ता 15/2.277हे0 अ0क0 खातेदारी भूमि में 1/2 हिस्सा खातेदारी भूमि में से वादीगण का 4/5 हक/ हिस्सा बहिस्सा बराबर खातेदारी कृषक घोषित किया जाता है । किसी वित्तिय संस्था का रहन है तो रहन यथावत रखा जावेगा । पर्चा डिक्री जारी हो । खर्चा पक्षकार अपना –2 वहन करे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18–11–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

(आदेश 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इश्तदाई

अज अदालत –सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी , सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

बइजलास – श्री मनोज कुमार मीणा आर. ए. एस.

अनवान :

1– विनोद
2– प्रेमचन्द
3– सुभाष चन्द
4– आदराम

} पिसरान श्री पृथ्वीराज अकवाम जाट साकिनान भोजेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

—— वादीगण

बनाम

1–पृथ्वीराज पुत्र श्री पूराराम
2–भागीरथ पुत्र श्री पुराराम

} अकवाम जाट साकिन भोजेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

3– एस बी बी जे (ए डी बी) वर्तमान बैक एस बी आई शाखा सूरतगढ

4– एच डी एफ सी बैक शाखा सूरतगढ

5–श्रीमान तहसीलदार राजस्व सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0 पेरोकार राज

—— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, व 209 आर. टी. ए. मुकदमा नं0 83 वर्ष 2019 यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक वादीगण राजवीर भादू एवं प्रतिवादी नं0 1 के अभिभाषक सुरेन्द्र सुथार व राज पैरोकार तहसीलदार सूरतगढ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है ।

वाद वादीगण स्वीकार कर निम्न प्रकार से आदेशित कर डिक्री जारी करने के आदेश प्रदान किये जाते है :–

प्रतिवादी नं0 1 के नाम संयुक्त खाते की भूमि वाके चक 1 बी जे डब्ल्यू द्वितीय तहसील सूरतगढ के खाता संख्या 7 के प0नं0 72/14 मु0 नं0 11 के किला नं0 1 ता 20/5.060 हे0 कमाण्ड , 21 ता 25/1.140 हे0 कमाण्ड = 6.200 हे0 कमाण्ड , पं0 नं0 72/22 मु0 नं0 12 के किला नं0 1 ता 20/5.060 हे0 कमाण्ड अनकमाण्ड, 21 ता 25/1.140 हे0 कमाण्ड = 6.200 हे0 कमाण्ड अनकमाण्ड, पं0 नं0 72/30 मु0 नं0 13 के किला नं0 1 ता 13, 18 ता 20/4.048 हे0 कमाण्ड अनकमाण्ड , 21 ता 23/0.684 हे0 कमाण्ड = 4.732 हे0 कमाण्ड अनकमाण्ड , पं0 नं0 72/31 मु0 नं0 18 के किला नं0 1

—— 2 पर लगातार

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

ता 3/0.759 हे0 कमाण्ड मय खाला, 8 ता 13, 18 ता 23/3.036 हे0 कमाण्ड = 3.795 हे0 कमाण्ड मय खाला, पं0 नं0 72/23 मु0 नं0 19 के किला नं0 1 ता 5/1.265 हे0 कमाण्ड मय खाला, 6 ता 19, 22 ता 25/4.554 हे0 कमाण्ड = 5.819 हे0 कमाण्ड मय खाला, पं0 नं0 72/15 मु0 नं0 20 के किला नं0 1 ता 4/1.012 हे0 कमाण्ड , 5–6/ 0.506 हे0 कमाण्ड मय खाला, 7–8/0.506 हे0 कमाण्ड, 10 ता 14/1.265 हे0 कमाण्ड , 15/0.253 हे0 कमाण्ड मय खाला, 20/0.215 हे0 अ0क0, 21/0.253 हे0 अ0क0 = 3.492 हे0 कमाण्ड अनकमाण्ड मय खाला , पं0 नं0 72/24 मु0 नं0 22 के किला नं0 3 ता 7, 15/1.518 हे0 कमाण्ड , पं0 नं0 72/32 मु0 नं0 23 के किला नं0 1 ता 3/0.759 हे0 कमाण्ड , 8/0.253 हे0 कमाण्ड मय खाला, 9 ता 12/1.012 हे0 कमाण्ड, 13/0.253 हे0 कमाण्ड मय खाला = 2.277 हे0 कमाण्ड मय खाला कुल 34.033 हे0 कमाण्ड अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि मे 1/2 हिस्सा में से वादीगण का 4/5 हक/ हिस्सा बहिस्सा बराबर खातेदार कृषक एवं चक 2 बी जे डब्ल्यू द्वितीय के संयुक्त खाता 44 के पं0 नं0 72/6 मु0 नं0 91 के किला नं0 3 ता 8 , 13 ता 15/2.277हे0 अ0क0 खातेदारी भूमि में 1/2 हिस्सा में से वादीगण का 4/5 हक/ हिस्सा बहिस्सा बराबर खातेदारी कृषक राजस्व रिकार्ड में घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है । और डिक्री के मुताबिक वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे ।

नोज .....×.....मुबलिग .....×.....बाबत .....×.....खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशहर ....×.....फसदो की पालना.....×.....आज की तारीख से तारीख वसुलया वो तक की अदा करे ।

बसन्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 18–11–2019 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
एवं उप खण्ड अधिकारी
सूरतगढ
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2019.11.22 14:15:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: